

मूल वाद में डिक्री (आदेश 20 के नियम 6 ओर 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू

(पीठासीन अधिकारी :- हवाई सिंह यादव, आर. ए. एस.)

मुकदमा नं. : 269 / 2023

रणवीर बनाम राज. सरकार वगै०

वादी की ओर से एडवोकेट सुरेन्द्र सिंह किशानावत तथा प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से एडवोकेट संदीप कुमार की उपस्थिति में इस वाद में आज दिनांक 24.02.2025 को हवाई सिंह यादव उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू के समक्ष निपटारे के पेश होने पर आदेश दिया जाता है और डिक्री की जाती है कि वाद वादीगण अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम बगड़ तहसील झुन्झुनू के हाल भूमि खसरा नम्बर 78 रकबा 2.54 हैक्टर में वादी संख्या 1 को 1/2 हिस्से का तथा वादीगण संख्या 2 लगायत 5 व प्रतिवादी संख्या 2 को संयुक्त रूप से 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदनुसार तहसीलदार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे। खर्चा पक्षकार अपना-अपना वहन करें। पर्चा डिक्री आज दिनांक 24.02.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा द्वारा जारी किया गया।

हवाई सिंह यादव
24/2/25
(हवाई सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू
झुन्झुनू (राज.)

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
स्टाम्प अर्जी दावा	3	स्टाम्प वकालतनामा	1
स्टाम्प वकालतनामा	1	स्टाम्प अर्जी	
मेहनतनामा वकील		मेहनतनामा वकील पर	
खर्चा गवाहान		खर्चा गवाहान	
फीस कमिशनर		फीस कमिशनर	
बाबत इजराय हुक्मनामा		बाबत इजराय हुक्मनामा	
		मुतफरिक	
योग	4	योग	1

हवाई सिंह यादव
24/2/25
(हवाई सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू
झुन्झुनू (राज.)